रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102023-249793
CG-DL-E-30102023-249793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 2023/कार्तिक 8, 1945
No. 628] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2023/KARTIKA 8, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 807(अ).—केंद्रीय सरकार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पर्यावरणीय स्वच्छ रीति में देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान का उपबंध करने के लिए सा. का. नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

और नियमों के प्रभावी कार्यान्वियन को और सशक्त बनाने के क्रम में प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य और स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों में बहु-चरणीय मैनुअल रिपोर्टिंग और डेटा संग्रहण के स्थान पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग सम्मिलित है; मूल्य की खोज के लिए रजिसट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त नियमों में संशोधन करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6, और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम का गया है) में, उप-नियम (2) के पश्चात् नियम 2 में, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) नियम 9 का उप-नियम (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख इकाइयों या इकाइयों और प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वाली अन्य इकाइयों या निर्यात आदेश के लिए निर्यात हेतु पैकेजिंग उत्पादों के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर लागू नहीं होगा:

परंतु यह उप-नियम ऐसी इकाइयों द्वारा उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पर लागू नहीं होगा"।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, -

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(ग) "कैरी बैग" से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक या जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से बने बैग अभिप्रेत हैं, जिनका उपयोग वस्तुओं को ले जाने या वितरित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिनमें एक स्व-वहन सुविधा होती है, लेकिन इसमें ऐसे बैग सम्मिलित नहीं होते हैं जो पैकेजिंग का एक अभिन्न अंग होते हैं या बनाते हैं जिसमें सामान को उपयोग से पहले बंद किया जाता है ";

(ii) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(ध) "उत्पादक" से प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माण में लगे व्यक्ति अभिप्रेत है";'.

4. उक्त नियम के नियम 4 में उप-नियम (1) में, "बहु-स्तरीय पैकेजिंग" शब्दों के स्थान पर "प्लास्टिक पैकेजिंग" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 5 में, उप-नियम (1) में, "शहरी स्थानीय निकाय" शब्दों के स्थान पर "स्थानीय निकाय" शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियम के नियम 9 में, उप-नियम (6) में, "बहु-स्तरीय पैकेजिंग" शब्दों के स्थान पर "प्लास्टिक पैकेजिंग" शब्द रखा जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 11 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(1) प्रत्येक प्लास्टिक पैकेजिंग में निम्नलिखित जानकारी अंग्रेजी में मुद्रित होगी, अर्थात्:-

(क) 1 जुलाई, 2024 से ठोस प्लास्टिक पैकेजिंग के मामले में, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी के लिए उत्पन्न किए गए नाम और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या, प्लास्टिक की थैली या पाउच सहित विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के साथ एक से अधिक स्तर वाली बहु-स्तरीय लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहु-स्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग;

(ख) प्लास्टिक की थैली या पाउच (यदि एकल स्तर), प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक शीट से बने कवर और प्लास्टिक शीट, कैरी बैग सहित एकल स्तर वाली लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग के मामले में प्लास्टिक पैकेजिंग और मोटाई के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी के लिए उत्पन्न नाम और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या;

(ग) 1 जनवरी, 2025 से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी के लिए नाम और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या और प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कैरी बैग के मामले में उप-नियम (4) के खंड (ज) के अधीन जारी प्रमाण पत्र की संख्या, जैसा कि लागू होता है;

(घ) प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ-साथ कैरी बैग और जैव निम्नीकरणीय से बनी वस्तुओं के मामले में उप-नियम 4 के खंड (ज) के अधीन जारी नाम और प्रमाण पत्र संख्या:

परन्तु इस उप-नियम के उपबंध विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड कमोडिटीज़ नियम 2011 के नियम 26 के अधीन आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर और प्लास्टिक पैकेजिंग के मामलों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों के लिए बीआईएस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन मानक चिह्न और लेबलिंग की आवश्यकताओं के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित जानकारी मुद्रित करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है;

परंतु पहले परंतुक के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुक के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में सुसंगत जानकारी पैकेजिंग पर मुद्रित की जाएगी जो सामान की व्यक्तिगत इकाइयों या पैकेजिंग की व्यक्तिगत इकाइयों को एक साथ रखती है।"

8. उक्त नियमों के नियम 12 में, -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के प्राधिकारी होंगे।;

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या नगरपालिका प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव अपशिष्ट उत्पादक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को लागू करने, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध या निषेध, प्लास्टिक शीट या ऐसी प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक पैकेजिंग से बने कवर और वस्तुओं को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में इन नियमों के नियम 4 के अधीन निषिद्ध करने के लिए प्राधिकरण होगा।";

(ग) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या पंचायती राज संस्थान के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव अपशिष्ट उत्पादक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध या निषेध, प्लास्टिक शीट या ऐसी प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक पैकेजिंग से बने कवर और वस्तुओं को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में इन नियमों के नियम 4 के अधीन निषिद्ध करने के लिए प्राधिकरण होगा।";

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(4) उपनियम (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में संबंधित जिले के क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकाय के कार्यकारी प्रमुख या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता लेंगे"।

9. उक्त नियम के नियम 13 में,-

(क) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी एक बार रजिसट्रीकरण के प्रयोजन से अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप I में आवेदन करेंगे। -

(i) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति, यदि एक या दो राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रही है; या

(ii) (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रहा है।";

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण करने वाला या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने या संसाधित करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक बार रजिसट्रीकरण के प्रयोजन से अनुसूची -2 में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप II में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।";

(ग) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण इकाइयों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करेगी जब तक कि इकाई के पास जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध मंजूरी न हो और जिला उद्योग केंद्र या इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र न हो।";

(घ) उप-नियम (9) का लोप किया जाएगा.

(ङ) उप-नियम (11) का लोप किया जाएगा.

10. उक्त नियम के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"16. राज्य स्तरीय निगरानी समिति- (1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, इन नियमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के प्रयोजन से, एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या नगरपालिका प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी प्रधान सचिव	अध्यक्ष;
(ख)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव	सह-अध्यक्ष;
(ग)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या शहरी विकास के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव या उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(घ)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव या उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(ङ)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या पर्यावरण के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव या उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव	सदस्य;
(छ)	दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के नगर आयुक्त	सदस्य;
(ज)	दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अलावा अन्य शहरों से एक नगर आयुक्त	सदस्य;
(झ)	जिला स्तरीय पंचायतों के एक मुख्य परिचालन अधिकारी	सदस्य;
(ञ)	अपशिष्ट प्रबंधन में सम्मिलित गैर-सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(ट)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले उद्योग संघ के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ठ)	उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ को राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(ड)	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले शिक्षाविदों से एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ढ)	पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रभारी निदेशक	सदस्य
(ण)	नगरपालिका प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रभारी निदेशक	सदस्य सचिव

(2) राज्य स्तरीय निगरानी समिति छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और यदि आवश्यक समझे तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।"

11. उक्त नियमों की अनुसूची II में, -

(क) पैरा 6 में, खंड (6.3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6.3) खंड (6.1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए बाध्य संस्थाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑन-लाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से खंड (6.1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने की बाध्यता रखने वाली किसी भी गैर-रजिस्ट्रीकृत इकाई से संव्यवहार नहीं करेगी।";

(ख) पैरा 10 में, खंड (10.6) में, परंतुक में, "31 अक्टूबर 2023" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगी, अर्थात्:-

"30 नवंबर 2023";

(ग) पैरा 12 में, खंड (12.8) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(12.9) केंद्रीय सरकार उत्पादकों, आयातकों और ब्राण्ड स्वामियों को खंड 10.6 के अधीन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को खंड 11.2 के अधीन नौ महीने से अधिक की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।"

(घ) पैराग्राफ 15 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"15क विभिन्न श्रेणियों से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र की खरीद.-

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन श्रेणियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र खरीदने की अनुमति दे सकता है जहाँ उस श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व पर अधिशेष विद्यमान है जिससे ऐसी श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व को पूरा किया जा सके जहाँ कमी है।

(2) ऐसे मामलों में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों के संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण की उपलब्धता और लागत के आधार पर उस श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व को पूरा करने के लिए जहाँ अधिशेष विद्यमान है, उस श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की मात्रा निर्धारित करेगा, जहाँ अधिशेष विद्यमान है।

(3) इस पैरा का उपबंध वर्ष 2025-2026 की समाप्ति पर लागू नहीं होगा"।

[मि. सं 12/31/2023 –एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 320(अ). तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 27 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ) तारीख 12 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) तारीख 17 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133(अ) तारीख 16 फरवरी, 2022, और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) तारीख 6 जुलाई, 2022., और अंत में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2023 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2023

G.S.R. 807(E).—WHEREAS the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the "said rules") were notified by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016 to provide statutory framework for plastic waste management in the country in an environmentally sound manner;

AND WHEREAS in order to further strengthen the effective implementation of rules amendments are being proposed inter alia including use of information technology tools for online reporting replacing multi-step manual reporting and capturing of data at various stages of waste management at state and local authority level; provide for online electronic trading platform for trading of certificates generated by registered plastic waste processors for price discovery;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to amend the said rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2 after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) Sub-rule (1) of rule 9 shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), and to other units manufacturing plastic packaging or on plastic packaging used for packaging products for export against an order for export:

Provided that this sub-rule shall not apply to pre-consumer plastic packaging waste generated by such units.".

3. In rule 3 of the said rules, -

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

'(c) "carry bags" mean bags made from plastic material or compostable plastic or biodegradable plastic, used for the purpose of carrying or dispensing, commodities, which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use";';

(ii) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-

'(s) "producer" means persons engaged in manufacture of plastic packaging";'.

4. In rule 4 of the said rules. in sub-rule (1), for the words "multi-layered packaging", the words "plastic packaging" shall be substituted.

5. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "urban local bodies" the words "local bodies" shall be substituted.

6. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (6), for the words "multilayered packaging" the words "plastic packaging" shall be substituted.

7. In rule 11, of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) Each plastic packaging shall contain the following information, printed in English, namely:-

(a) name and registration certificate number for producer or importer or brand owner generated through centralized online portal specified in Schedule II for plastic packaging, in case of, rigid plastic packaging with effect from 1 July,2024, multilayer flexible plastic packaging having more than one layer with different types of plastics, including plastic sachet or pouches, and multi-layered plastic packaging;

(b) name and registration certificate number for producer or importer or brand owner generated through centralized online portal specified in Schedule II for plastic packaging and thickness in case of flexible plastic packaging of single layer including plastic sachet or pouches (if single layer), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags;

(c) name and registration certificate number for producer or importer or brand owner generated through centralized online portal specified in Schedule II for plastic packaging with effect from 1 January, 2025 and number of certificate issued under clause (h) of sub-rule (4) in case of plastic sheet or like used for packaging and plastic packaging as well as carry bags commodities made of compostable plastic, as applicable;

(d) name and certificate number issued under clause (h) of sub-rule 4 in case of plastic sheet or like used for packaging and plastic packaging as well as carry bags and commodities made of biodegradable plastic:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply to plastic packaging covered under rule 26 of the Legal Metrology Packaged Commodities Rules, 2011, and in respect of plastic packaging cases where it is technically not feasible to print the requisite information, as per specifications given in the Guidelines for use of Standard Mark and labelling requirements under BIS Compulsory Registration Scheme for Electronic and IT Products;

Provided further that the plastic packaging under the first proviso shall be approved by the Central Pollution Control Board:

Provided also that the relevant information in respect of plastic packaging under the first and second proviso shall be printed on the packaging that holds together individual units of goods or the individual units of packaging.".

8. In rule 12 of the said rules , -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules;

(b) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(2) The concerned Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or a Union territory Administration responsible for municipal administration shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, restriction or prohibition on use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and plastic packaging and items prohibited under rule 4 of these rules in the urban areas of the State or a Union territory.";

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) The concerned Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or a Union territory Administration responsible for Panchayati Raj Institutions shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, restriction or prohibition on use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and plastic packaging and items prohibited under rule 4 of these rules in the rural area of the State or a Union territory.";

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(4) The authorities referred to in sub-rule (1), (2) and (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner and executive Head of Municipal Body for urban areas or Chief Executive Officer of the District level Panchayats for rural areas within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in respect of the enforcement of the provisions of these rules".

9. In rule 13 of the said rules,-

(a) for sub rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every producer or importer or brand-owner shall for the purpose of one –time registration make an application in Form I through the centralized online portal specified in Schedule II , to -

(i) the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, if operating in one or two States or Union territories; or

(ii) the Central Pollution Control Board, if operating in more than two States or Union territories.";

(b) for sub rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall for the purpose of one-time registration make an application to the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee in Form II through Centralized online portal specified in Schedule –II.";

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not grant registration to plastic waste recycling or processing units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and a certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other Government agency authorised in this regard.";

(d) Sub-rule (9) shall be omitted.

(e) Sub-rule (11) shall be omitted.

10. For rule 16 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: -

"16. State Level Monitoring Committee.- (1) The State Government or the Union territory Administration shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely:-

(a)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for municipal administration	Chairman;
(b)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Panchayati Raj Institutions	Co- Chairman;
(c)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Urban Development or his nominee	Member;
(d)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Rural Development or his nominee	Member;
(e)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Environment or his nominee	Member;
(f)	Member Secretary of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee	Member;
(g)	Municipal Commissioners of cities having population of one million or more	Member;
(h)	One Municipal Commissioner from cities other than cities having population of one million or more	Member;
(i)	One Chief Executive Officer of the District Level Panchayats	Member;
(j)	One expert from Non-Governmental Organisation involved in Waste management to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member;
(k)	One representative of an industry association to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member;
(l)	One expert from the field of Industry to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member;
(m)	One expert from academia to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member;
(n)	Director in charge, Department of the State Government or a Union territory administration responsible for Panchayati Raj Institutions	Member
(o)	Director in charge, Department of the State Government or a Union territory administration responsible for municipal administration	Member Secretary.

(2) The State Level Monitoring Committee shall meet at least once in six months and may invite experts, if it considers necessary."

11. In schedule II to the said rules, -

(a) in paragraph 6, for clause (6.3) the following clause shall be substituted, namely:-

"(6.3)The entities obligated to register under clause (6.1) shall not deal with any un-registered entity having obligation to register under clause (6.1) through on-line centralized portal developed by the Central Pollution Control Board";

(b) in paragraph 10, in clause (10.6), in the proviso, for the words and numbers "31st October 2023", the following words and numbers shall be substituted, namely:-

"30th November 2023";

(c) in paragraph 12, after clause (12.8), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(12.9) The Central Government may permit filing of annual returns by Producers, Importers and Brand owners under clause 10.6 and by Plastic Waste Processors under clause 11.2 for a period not exceeding nine months for the reasons to be recorded in writing."

(d) after paragraph 15, the following paragraph shall be inserted, namely:-

" 15A Purchase of extended producer responsibility certificate from different categories.-

(1) The Central Pollution Control Board may allow purchase of extended producer responsibility certificates for those categories where surplus exists over the extended producer responsibility obligation of that category for fulfilment of extended producer responsibility obligation of such category where deficit exists.

(2) In such cases, the Central Pollution Control Board shall prescribe the quantum of extended producer responsibility certificates of the category required to be procured, where surplus exists, for fulfilment of extended producer responsibility obligation of the category where deficit is present, based on the availability and cost of collection, segregation and processing for different categories of plastic packaging waste.

(3) The provision of this paragraph shall cease to apply at the end of 2025-2026.".

[F. No. 12/31/2023 –HSM]

Naresh Pal Gangawar, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018, *vide* notification number G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021, *vide* notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021, *vide* notification number G.S.R. 133(E) , dated the 16th February 2022, *vide* notification number G.S.R. 522(E) , dated the 6th July 2022 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 318(E) , dated the 27th April 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.10.30 23:02:02 +05'30'